न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

विश्वनाथ प्रसाद वर्मा बनाम् रामदेव प्रसाद कुशवाहा

विविध वाद संख्या –49/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, पिता– डेगन महतो उर्फ जगदीश महतो
ग्राम– झाझ, पोस्ट– डबरी, थाना + अंचल– बिरनी, जिला– गिरिडीह

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

रामदेव प्रसाद कुशवाहा, पिता डेगन महतो उर्फ जगदीश महतो
ग्राम– झाझ, पोस्ट– डबरी, थाना + अंचल– बिरनी, जिला– गिरिडीह

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बिरनी के ज्ञापांक 371, दिनांक 04.04.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात प्रारंभ किया गया। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों के सदस्यों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन मे कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
नवादा	24	381	03 डी0 मध्ये $1\frac{1}{2}$ डी0	द0– दिनेश प्रसाद वर्मा, द0– रूपनारायण वर्मा, पू0– सुरेन्द्र वर्मा वगैरह, प0– धनवार–सरिया रोड

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/ उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन मे लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 01.03.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख मे संलग्न है –

1. लिखित आवेदन– कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. केवाला संख्या – 5335, दिनांक – 30.12.2000 की छायाप्रति, कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. जगदीश महतो उर्फ डेगन महतो, पिता – खुभलाल महतो एवं रूपनारायण महतो, पिता – दामोदर महतो के नाम से ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. जगदीश महतो उर्फ डेगन महतो एवं रूपनारायण महतो के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. पंचनामा की छायाप्रति, कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
7. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के आधार कार्ड की छाया प्रति – कुल 01 पृष्ठ **प्रदर्श A-7**

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

द्वितीय पक्ष –

द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 07.06.2024 तथा दिनांक 15.06.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छाया प्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है –

1. लिखित कारण पृच्छा – कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. केवाला संख्या– 1587, दिनांक 26.04.2011 की छायाप्रति कुल 06 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. रामदेव प्रसाद कुशवाह के नाम से ऑनलाईन पंजी II की छाया प्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. रामदेव प्रसाद कुशवाहा के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**

अंचल अधिकारी, बिरनी का प्रतिवेदन

अंचल अधिकारी, बिरनी का ज्ञापांक 371, दिनांक 04.04.2024, कुल–03 पृष्ट (प्रतिवेदन– 01 पृष्ठ, अनुलग्नक– राजस्वम कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का रिपोर्ट– 02 पृष्ठ) **प्रदर्श – C-1**

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

(1) विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है –

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
नवादा	24	381	03 डी0 मधे $1\frac{1}{2}$ डी0	द0– दिनेश प्रसाद वर्मा, द0– रूपनारायण वर्मा, पू0– सुरेन्द्र वर्मा वगैरह, प0– धनवार–सरिया रोड

(2) खतियान के अनुसार उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है।

(3) अंचल बिरनी, मौजा– नवादा, खाता नं0– 24, प्लॉट नं0– 381, रकवा– 03 डी0 जमीन रजिस्ट्री केवाला के माध्यम से, विक्रेता श्री शक्ति राय, पिता स्व0 देवनारायण राय से, क्रेता (1) श्री जगदीश महतो उर्फ डेगन महतो, पिता स्व0 खुबलाल महतो एवं (2) श्री रूपनारायण महतो, पिता स्व0 दामोदर महतो ने खरीदा है।

(4) उक्त भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II के, भोलुम नं0– 02, पृष्ठ संख्या 100 पर (जगदीश महतो उर्फ डेगन महतो, पिता खुबलाल महतो) एवं (रूपनारायण महतो, पिता– स्व0 दामोदर महतो) के नाम पर दर्ज है तथा ऑनलाईन लगान रसीद दिनांक 17.05.2023 तक निर्गत हुआ है।

(5) उक्त केवाला के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि डेगन महतो को उक्त खाता प्लॉट में 03 डी0 मधे $1\frac{1}{2}$ डी0 भूमि हासिल है।

(6) उभय पक्ष केवाला खरीददार डेगन महतो उर्फ जगदीश महतो के पुत्र हैं और दोनों पक्ष उक्त $1\frac{1}{2}$ डी0 जमीन को हासिल करना चाहते हैं।

15.06.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

(7) प्रथम पक्ष का कहना है कि उन्हें यह भूमि एकरारनामा के माध्यम से प्राप्त हुआ है परन्तु एकरारनामा की कॉपी संलग्न नहीं की गई है, बल्कि एक सादा पंचनामा की कॉपी संलग्न की गई है ।

(8) द्वितीय पक्ष का कहना है कि उन्हें यह भूमि उनके पिता डेगन महतो से, केवाला संख्या 1587, दिनांक 26.04.2011 से प्राप्त हुआ है तथा दाखिल खारिज होकर उनके नाम से उक्त $1\frac{1}{2}$ डी० जमीन की जमाबंदी कायम होकर, लगान रसीद निर्गत हो रहा है; इसके समर्थन में केवाला, ऑनलाईन जमाबंदी पंजी II की प्रति तथा एक ऑफलाईन रसीद संलग्न किया गया है।

(9) अंचल अधिकारी के ज्ञापांक 371, दिनांक 04.04.2024 में यह कहा गया है कि द्वितीय पक्ष रामदेव प्रसाद कुशवाहा को उक्त भूमि केवाला 1587, दिनांक 26.04.2011 के माध्यम से, उनके पिता जगदीश महतो उर्फ डेगन महतो से प्राप्त हुआ है तथा जमाबंदी पंजी के पृष्ठ संख्या 35/3 पर जमाबंदी कायम है एवं वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है।

स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के नाम पर उक्त भूमि का रजिस्ट्री केवाला है, दाखिल–खारिज होकर उक्त भूमि रजिस्टर II में द्वितीय पक्ष के नाम पर दर्ज है तथा द्वितीय पक्ष के नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत है तथा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कहा गया है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है; जबकि प्रथम पक्ष के द्वारा एक सादा पंचनामा संलग्न किया गया।

अतः इस वाद में प्रथम पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को संपुष्ट किया जाता है तथा प्रथम पक्ष को उक्त भूमि पर जाने से रोका जाता है; तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानून व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसी के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15.06.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

15.06.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 11:00:56 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with CamScanner